

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :- 10.11

मिशाल संख्या:- 784/2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

डुग्गा

बनाम तहसीलदार.....

देवी

उपस्थिति :-

तहसीलदार.....देवी

प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

प्रार्थी डुग्गा

निवासी प्रकरण प्रशासन गांवो

के संघ 2021 केम्प/ न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम डुग्गा

जमाबंदी सम्बत् 2571-74 के खाता संख्या 218 में दर्ज प्रार्थी का नाम डुग्गा

के स्थान पर डुग्गा पुत्र काना कदर

दुरुस्त राजस्व रिकॉर्ड करवाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार देवी से कराई गई। तहसीलदार देवी ने पटवार हल्का प्रकरण व भू0अ0नि0 भालडा की रिपोर्ट सहित प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशंषा की।

प्रार्थी उपस्थित हुआ। मजमेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में जानकारी ली गई। तहसीलदार देवी से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्रुप -6 विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक:- 4(1)राज-6/2002/19 के तहत तहसीलदार देवी को वाके ग्राम डुग्गा जमाबंदी सम्बत् 2571-74 के खाता संख्या 218 में दर्ज डुग्गा के स्थान पर डुग्गा पुत्र काना कदर

दुरुस्त राजस्व अभिलेख करने हेतु अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति तहसीलदार देवी को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल वक्त हो।

निर्णय खुले सरे इजलास, कैम्प डुग्गा में सुनाया गया।

B. D. D.

उपखण्ड अधिकारी
देवली